25

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 2582–दो/2014 – विरूद्ध आदेश दिनांक 5–5–2014 – पारित द्वारा – आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल – प्रकरण 122/2012–13 अपील

श्रीमती भगवती वाई पत्नि स्व. केशर सिंह पुत्री देवी सिंह
ग्राम बोरदीकलॉ तहसील इछावर जिला सीहोर ---आवेदक

विरूद्ध

१– दानिश हासमी पुत्र मुख्तार हासमी
सचिव युवा खेल उत्थान मण्डल इछावर
२– श्रीमती शकुन्तलावाई पत्नि विष्णुप्रसाद
३– विष्णुप्रसाद पुत्र हनुमत सिंह
ग्राम बोरदीकलॉ तहसील इछावर जिला सीहोर ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री गुलाब सिंह चौहान)
(अनावेदक क–1 के अभिभाषक श्री मनोज गुप्ता)
(अनावेदक क 2, 3 सूचना उपरांत अनुपस्थित – एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 6 – 03 –2018 को पारित)

यह निगरानी आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के प्रकरण 122/2012–13 अपील में पारित आदेश दिनांक 5–5–14 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक क्रमांक–1 ने तहसीलदार इछावर के समक्ष म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 250 के अंतर्गत आवेदक एंव अनावेदक क्रमांक 2 व 3 के विरूद्ध दावा प्रस्तुत कर बताया कि ग्राम बोरदीकलॉ स्थित भूमि कुल किता 5 कुल रकबा 4.66 डेसिमिल युवा खेल उत्थान मण्डल के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर है । इस भूमि का सीमांकन कराया गया जिसमें 4.66 डे. भूमि (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है) पर पड़ोसी कृषक भगवती वाई पुत्री देवीसिंह का अवैध कब्जा है अतः

कब्जा हटाया जावे। तहसीलदार इछावर ने प्रकरण क्रमांक 1 अ 70/07-08 पॅजीबद्ध किया तथा पक्षकारों की सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 10-10-11 पारित किया तथा आवेदक पर 1000/-रू. अर्थदंड अधिरोपित करते हुये 2500 रू, का बंधनामा कब्जा से वृत रहने के लिये निष्पादित करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी इछावार के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी इछावार ने प्रकरण क्रमांक 20/11-12 अपील में पारित आदेश दिनांक 11-3-13 से अपील निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्ध आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल ने प्रकरण 122/2012-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 5-5-14 से अपील निरस्त कर दी। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उपस्थित पक्षकारों के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि राजस्व निरीक्षक ने सीमांकन के पूर्व पड़ोसी कास्तकारों को लिखित सूचना नहीं दी है एंव मनमाना सीमांकन किया है बिना निगरानीकर्ता की अनुपस्थिति में किया गया सीमांकन कागजी दस्तावेज है जिसे सही नहीं माना जा सकता। आवेदक की स्वयं् की 457/2 रकबा 8.00 एकड़ भूमि है जिसके सीमांकन का आवेदन दिया गया था किन्तु सीमांकन अभी तक नहीं किया गया है। आमिरखान का धारा 250 का दावा बिना सोचे समझे एंव सुनवाई का अवसर दिये निराकृत किया गया है इसलिये पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने हेतु तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जावें।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन करने पर पाया गया कि तहसीलदार इछावर के प्रकरण क्रमांक 1 अ 70/07-08 में राजस्व निरीक्षक मण्डल-2 का सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 3-5-07 संलग्न है एंव प्रकरण में पृष्ठ 9 पर आवेदक के अभिभाषक का वकालातनामा एंव पृष्ठ 10 पर आवेदक का आपत्ति आवेदन संलग्न है अर्थात तहसील न्यायालय में सुनवाई के लिये आवेदक एंव अनावेदक क्र 2 व 3 उपस्थित रहे हैं क्योंकि तहसील न्यायालय में अनावेदक क्र-3 विष्णुप्रसाद ने उपस्थित होकर बचाव में प्रार्थना पत्र दिनांक 19-11-07

प्रस्तुत किया है जो कि अनावेदक क्र-2 के पति हैं। राजस्व निरीक्षक ने सीमांकन के समय मौके पर पंचनामा बनाया है जिसके अंतिम पद में उल्लेखित है कि मौके पर भगवती वाई सूचना उपरांत अनुपस्थित हैं किन्तु वह तहसील न्यायालय में सुनवाई के दौरान उपस्थित रही है ऐसी स्थिति में आवेदक के अभिभाषक का यह तर्क माने जाने योग्य नहीं है कि विचारण न्यायलय में आवेदक को सुनवाई का अवसर नहीं मिला है।

5/ तहसीलदार इछावर के प्रकरण कमांक 1 अ 70/07-08 में आये तथ्यों से यह भी पुष्टिकृत है कि वादग्रस्त भूमि खेल उत्थान मण्डल के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर है अर्थात सार्वजनिक उपयोग की है जिस पर आवेदक व्दारा अवैध कब्जा किया जाना सीमांकन से प्रमाणित हुआ है। **मुरलीधर तथा एक अन्य विरूद्व राजस्व मण्डल तथा अन्य 2013 रा.नि. 277 में माननीय उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 250 तथा 129 - सीमांकन में सूचना के बावजूद पक्षकार उपस्थित नहीं - प्रथक कार्यवाही अक्षेपित नहीं की जा सकती- अंतिमता प्राप्त - धारा 250 के अधीन कार्यवाही में इसे प्रश्नगत नहीं किया जा सकता।** तहसीलदार इछावर व्दारा पारित आदेश दिनांक 10-10-11 , अनुविभागीय अधिकारी इछावार व्दारा पारित आदेश दिनांक 11-3-13 तथा आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल व्दारा पारित आदेश दिनांक 5-5-14 में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती है जिसके कारण निगरानी प्रकरण में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल व्दारा प्रकरण 122/2012-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 5-5-14 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर